राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय,राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(3317) आ.कृ/17-127 दिनांक : 6-01-21

समस्त सहायक निदेशक कृषि
(विस्तार)।

विषयः— कृषि पर्यवेक्षकों के 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृति के संबंध में।

विभाग में वर्ष 1993 के दौरान कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त कार्मिकों की 27 वर्षीय सेवा पूर्ण हो चुकी है, जिनके 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृति के प्रकरण आयुक्तालय को प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त प्रकरणों में प्रायः देखा गया है कि प्रकरण अपूर्ण प्राप्त हो रहे हैं जिसके लिए संबंधित कार्यालयों से पत्राचार किया जाता है और एसीपी स्वीकृति में अनावश्यक देरी होती है।

कृषि पर्यवेक्षकों के 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृति के प्रकरण में नियमानुसार निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होती हैं :—

क.सं.	अपेक्षित सूचना	सूचना का स्तर
1	कार्मिक के विरूद्ध जाँच रिपोर्ट	संबंधित खण्ड कार्यालय स्तर से
2	एसीपी देय दिनांक से 7 वर्ष पूर्व की एसीआर रेटिंग	संबंधित खण्ड कार्यालय स्तर से
3	एसीपी हेतु आवेदन पत्र (आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति कार्मिक की सेवापुस्तिका अनुसार हो)	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
4	संतान संबंधी घोषणा पत्र	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित हो।
5	दिनांक 01.07.2020 को प्राप्त मूल वेतन तथा पे—मेट्रिक्स के किस Level में हैं। (सेवापुस्तिका अनुसार)	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित हो।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आवश्यक सूचनाऐं संबंधित खण्ड कार्यालय से प्राप्त कर संकलित करते हुए प्रकरण आयुक्तालय को भिजवाऐं ताकि कृषि पर्यवेक्षकों के 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृति प्रकरणों का निस्तारण तत्परता से किया जा सके।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक प.2(3)(ब)(3317) आ.कृ/17-127 दिनांक : 6-01-21

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—</u>

1. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)।
2. समस्त उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद्।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

(बी.एल.कुमावत)
सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन)